तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
…6-17	वकील उभयपक्ष उपस्थित वास्ते पुनः बहस पत्रावली दिनांक 28-7-17 को पेश हो	
28-7-17	वकील उभयपक्ष उपस्थित वास्ते बहस आक्षेप अवसर दिया जाकर वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 1-9-17 को पेश हो	
1-9-17	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक ~~उभय पक्ष उपस्थित~~ हैं। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे मे तशरीफ रखेते है। अन्य कार्य मे व्यस्त है। अभिभाषणगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 8-9-17 को पेश हों।	
8-9-17	वकील उभयपक्ष उपस्थित बहस आक्षेप प्रा०पत्र सुनी गई बहस समाप्त पत्रावली की गई वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 6-10-17 को पेश हो	
6-10-17	पत्रावली पेश हुई वकील उभयपक्ष उपस्थित प्रार्थना-पत्र 212 आर.टी.एम. पर बहस पूर्व पेशी पर सुनी गई आदेश सुनाया गया विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर सलंग्न मूल वाद रहे। उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बून्दी)	

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी जिला बून्दी

प्रार्थना पत्र सं. 74/08 पीठासीन अधिकारी - गरिमा लाटा RAS.

दायरा दिनांक - 4-11-08

उनवान

1. ज्ञानचन्द आयु 72 वर्ष आत्मज धर्मचन्द जाति महाजन निवासी सुमेरगंजमण्डी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज. (मृतक) जर्ये कायम मुकामान

1/1 - लाडकंवर बेवा ज्ञानचन्द जाति महाजन निवासी सुमेरगंजमण्डी

1/2 - भानू कुमार पुत्र श्री ज्ञानचन्द जाति महाजन निवासी सुमेरगंजमण्डी

1/3 जसवन्त कुमार पुत्र श्री ज्ञानचन्द जाति महाजन निवासी सुमेरगंजमण्डी

1/4 राकेश पुत्र श्री ज्ञानचन्द जाति महाजन निवासी सुमेरगंजमण्डी

1/5 जीवन्धर पुत्र श्री ज्ञानचन्द जाति महाजन निवासी सुमेरगंजमण्डी

1/6 आशा जैन पुत्री श्री ज्ञानचन्द जाति महाजन निवासी सुमेरगंजमण्डी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राजस्थान

— प्रार्थीगण

बनाम

1. रामप्रसाद पुत्र श्री मांगीलाल जाति माली निवासी इन्द्रगढ़ जिला बून्दी
2. हेमराज पुत्र श्री मांगीलाल जाति माली निवासी इन्द्रगढ़ जिला बून्दी
3. नन्दकिशोर पुत्र श्री मांगीलाल जाति माली निवासी इन्द्रगढ़ जिला बून्दी
4. श्रीमती ग्यारसीबाई बेवा श्री मांगीलाल जाति माली निवासी इन्द्रगढ़ जिला बून्दी
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार इन्द्रगढ़ जिला बून्दी

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

— अप्रार्थीगण

उपस्थित - 1.
2.

— क्रमशः . . . .

प्रार्थना पत्र बाबत रद्दे

निर्णय

दिनांक 6.10.17

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता पेश किया गया। प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है - कृषि भूमि खसरा संख्या 133 रकबा 0.16 है. खसरा सं. 119 रकबा 0.18 है. वाके ग्राम इन्द्रगढ़ तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी में स्थित है इस भूमि के सेटलमेंट से पूर्व खसरा सं. 167/391 मि., 168/392 मि., 118/393 मि., 169 मि. व 168/392/497 थे। यह भूमि वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थीगण 1 ता 4 के नाम दर्ज है। उक्त वर्णित कृषि भूमि में से पूर्व-पश्चिम 200 फीट व उत्तर-दक्षिण 100 फीट सड़क के किनारे मोती मैरवा का पश्चिम में खातेदार मांगीलाल की शेष भूमि की जिसकी चतुर्थ सीमा इस प्रकार है पूर्व में भय्या चूना गणेश सड़क आम रास्ता, पश्चिम में खातेदार मांगीलाल की शेष भूमि, उत्तर में पक्की सड़क आम रास्ता माताजी के जाने का तथा दक्षिण में खातेदार मांगीलाल की भूमि तत्कालीन खातेदार मांगीलाल आत्मज भूरा जाति माली निवासी इन्द्रगढ़ से प्रार्थी के स्वर्गीय पिताजी श्री धर्मचन्द ने 500 रुपये अक्षरे पाँच सौ रुपये के प्रतिफल स्वरूप जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 28.10.1967 को क्रय की थी तथा भूमि पर कब्जा प्राप्त किया था। क्रय करने की तारीख से पूर्व ही प्रार्थी के पिता व उनकी मृत्यु के बाद प्रार्थी उक्त भूमि पर बहैसियत स्वामी काबिज है। इस भूमि की दिशा में पत्थरों की बाउण्ड्री प्रार्थी के पिता द्वारा करवायी गयी जो वर्तमान में मौजूद है। प्रार्थी के पिता पुरा पारिवारिक कारोबार करते थे तथा वृद्ध थे इस कारण उन्होंने क्रयशुदा भूमि का नामान्तकरण अपने नाम नही खुलवाया इस तथ्य की

क्रमशः...

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned by CamScanner

जानकारी प्रार्थी को परवादी हवका से नकल मांगने पर हुई। दिनांक 5.10.08 को अप्रार्थीगण से सम्पर्क कर वादपत्र की चरण संख्या 3 मे वर्णित चतुर्थ सीमा की कृषि भूमि बाबत विक्रय पत्र दिखा तथा कहा की यह भूमि मांगीलाल ने हमें विक्रय कर दी तब से ही इस पर प्रार्थी का कब्जा चला आ रहा है इस पर अप्रार्थीगण नाराज हो गये तथा कहा कि यह भूमि हमारे खाते की है व हम इसे अन्य को विक्रय कर देंगे। प्रार्थी को अधिकार प्राप्त है कि वह प्रार्थना पत्र में वर्णित चतुर्थ सीमा की ओर 200x100 वर्ग फीट की भूमि का अपने आपको खातेदार घोषित करवाकर उक्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अपने नाम अंकित करावे तथा अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करे कि वे विवादित भूमि अथवा उसके किसी भाग पर प्रार्थी के शान्त एवं वैध कब्जे में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न तो स्वयं करे न अन्य से करावे न ही विवादित भूमि को किसी अन्य के नाम रहन अथवा बय नहीं करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 5 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी सं. 5 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं. 1 लगा. 4 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थना पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित आराजी वर्तमान में राजस्व रिकार्ड मे अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है। उक्त भूमि में से पूर्व-पश्चिम 200 फीट व उत्तर-दक्षिण 100 फीट सड़क के किनारे की भूमि जिसकी चारो सीमाए प्रार्थना पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित है

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

क्रमशः...

Scanned by CamScanner

को प्रार्थी के पिताजी धर्मचन्द ने 500 रू. प्रतिबिघा पर जरिये रजिस्टर्ड
विक्रय पत्र दिनांक 28.10.67 को क्रय की थी। विद्वान अधिवक्ता ने
रजिस्ट्री की लिखत पढ़कर सुनायी। उक्त जमीन पर खरीद की
तारीख से काबिज है। राजस्व रिकार्ड में खरीददार धर्मचन्द
के नाम इंतकाल नहीं खुला। जवाब प्रार्थना पत्र को पढ़ते हुए
कथन किया कि अप्रार्थीगण ने हमारा कब्जा नहीं माना है जबकि रजिस्ट्री
में विक्रेता ने कब्जा देने की बात लिखी हुयी है को झुठलाया नहीं जा
सकता है। हमारे रजिस्ट्री के आधार पर इंतकाल नहीं खुला। इंतकाल
केवल एक fiscal entry है। हमारा प्रथम दृष्टया मामला बनता है।
हम ये रिलीफ चाह रहे हैं कि जमीन का बेचान नहीं करे। हमारे
कब्जे काश्त में दखल, रहन व बैय नहीं करे। अपूर्णीय क्षति हमारे
को होगी यदि हमारी खरीदशुदा जमीन को अप्रार्थीगण द्वारा बेचान
रहन कर दिया गया तो। इस सन्दर्भ में सुप्रीम कोर्ट की बहुत से
न्यायिक दृष्टांत है जिसमें दौराने वाद प्रोपर्टी का केस चल रहा है तो
दौराने वाद उसको Secure किया जाएगा। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने
Raj. High Court की Order 39 Rule 2 CPC व आर्टी 2(2) सपठित
धारा 52 TP Act का दृष्टांत का उल्लेख किया। RLW Vol I,
2015 Page 450, RLW - Part 2 2011 Page 113, RLW-2005
Part-2 Page-218, RRD 2004 Page 11 का उल्लेख कर
कथन किया कि दौराने वाद जमीन खुर्द-बुर्द होने से कोर्ट द्वारा
रोका जाएगा। विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया
कि इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला, अपूर्णीय क्षति व सुविधा का
संतुलन तीनों हमारे पक्ष में है अतः हमारा प्रार्थना पत्र 2/2
आर टी एक्ट स्वीकार किया जावे।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण 1 लगायत 4
ने कथन किया की वाद सन 2008 में पेश किया गया है वर्तमान में
2017 चल रहा है। पिछले 9 वर्षों में ऐसी कोई Urgency नहीं आयी है।

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

त इस कृषि भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार हैं। प्रार्थी द्वारा जिन चतुर्सीमाओं का प्रार्थना पत्र में कथन किया है ऐसी किसी भूमि का बेचान नहीं हुआ है। तथाकथित दिनांक 28.10.67 को मांगीलाल आत्मज भूरा वादविषयक भूमि का खातेदार ही नहीं था तो विक्रय का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। जमाबंदी सम्वत 2050-2053 में मांगीलाल प्रेमचन्द पि० भूरा कौम माली हि० ब० दर्ज है। खातेदार प्रेमचंद भी हैं। मांगीलाल को अकेले को विक्रय करने का अधिकार नहीं था। 1994 तक प्रेमचंद का नाम राजस्व रिकार्ड में है। प्रथमदृष्टया मामला साबित नहीं होता है क्योंकि जिसने दस्तावेज लिखा उसे अधिकार ही नहीं था। यदि क्रय किया था तो आप प्रार्थी अधिकारों के प्रति करीब 60 वर्ष तक सजग भी नहीं हुये। नक्शा ट्रेस को अवलोकित करवाकर कथन किया कि खसरा नं. 133 व 119 दोनों ही सड़क के किनारे ही नहीं हैं। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने न्यायिक दृष्टांत RRT 2005 (1) Page 94, RRT 2003 (2) Page 1267, RRT 2003 (2) Page 1283, RRT 2003 (1) Page 382, RRT 2004 (2) Page 1045, RRD 1989 Page 794, 2015 (1) RRT 567 2015 (1) RRT 633, 2016 (2) RRT 1323 पेश की व कथन किया कि हम खातेदार हैं। खातेदार के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। शून्य दस्तावेज के आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा नहीं दी जा सकती है। प्रार्थी का प्रथम दृष्टया केस नहीं है, प्रार्थी के पास मान्य दस्तावेज नहीं है न ही प्रार्थी रिकॉर्डेड खातेदार है अतः आज किस आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा चाही गयी है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

जवाब बहस में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने कथन किया कि हमारी मिल्कियत इनके दस्तावेजों से ही साबित होती है। भूरा के जीवीत रहते हुए भी भूरा का पुत्र कोपार्सनर होने से मांगीलाल को बेचने का अधिकार था। हमारा दस्तावेज सही है। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा पेश Ruling चस्पा नहीं होती है। हमारे पास रजिस्टर्ड विक्रय पत्र है जिसको नकारा नहीं जा सकता है। अतः हमारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने विद्वान अधिवक्तागण की बहस को ध्यानपूर्वक सुना व मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया व विद्वान अधिवक्तागण द्वारा पेश न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन किया। न्यायालय का निर्णय निम्नानुसार है—

क्रमशः....

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned by CamScanner

प्रथम द्रष्टया मामला - प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रतिलिपि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 28.10.1967 का अवलोकन करने पर पाया गया कि धर्मचन्द को कब्जा दिया जाना उल्लेखित है। जबकि अप्रार्थीगण विवादग्रस्त भूमि के रिकॉर्ड खातेदार हैं। प्रस्तुत जमाबन्दी व खसरा गिरदावरी के अवलोकन से पाया गया है कि अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है चूंकि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्र दिनांक 28.10.1967 रजिस्टर्ड है। इसके अलावा प्रार्थीगण द्वारा अपने पक्ष में कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है जो पूर्णतया प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम द्रष्टया मामला सिद्ध करे। प्रार्थीगण ने जिनके विरूद्ध प्रार्थना चाही है वे रिकॉर्ड खातेदार हैं। इस प्रकार पूर्णतया प्रथम द्रष्टया मामला साबित नही हुआ है। अतः आंशिक रूप से ही मामला प्रार्थीगण सिद्ध कर पाए हैं।

अपूर्णीय क्षति व सुविधा का संतुलन - चूंकि प्रथम द्रष्टया मामला पूर्णतया प्रार्थीगण के पक्ष में नही है अतः ये दोनो विचारणीय बिन्दु भी अंशतः ही प्रार्थीगण के पक्ष में है। लेकिन रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की प्रति के आधार पर पूर्णतः वाद निर्णय तक प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अंशतः स्वीकार योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned by CamScanner

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। आदेश दिया जाता है कि उभयपक्ष विवादित भूमि को फैसला बाद रहन, बेच, अन्तरण नहीं करे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर संलग्न मूल वाद हो। निर्णय आज दिनांक 6.10.17 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)